न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 09/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/09)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. पाली उर्फ मुखत्यार कौर पुत्री पुन्नू पत्नी नानक सिंह जाति बावरी निवासी 42 जीजी तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 31.01.2024

उपस्थितः 1.श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

——निर्णय—— दिनांक : 21.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा नम्बर 9, 46/50 की कुल 1.550 हैक्टेयर भूमि वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॅार्ड है। उक्त भूमि में वादिया का नाम पाली पुत्री पुन्नू अंकित है। वादिया उक्त खाता में नाम पाली उर्फ मुखत्यार कौर पुत्री पुन्नू पत्नी नानक सिंह जाति बावरी निवासी 42 जीजी दर्ज करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 42/40 के मुरब्बा नम्बर 9, 46/50 की कुल 1.550 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम पाली पुत्री पुन्नू के स्थान पर पाली उर्फ मुखत्यार कौर पुत्री पुन्नू पत्नी नानक सिंह जाति बावरी निवासी 42 जीजी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1901 दिनांक 03.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 42 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2072 के खाता संख्या 42 के मुरब्बा नम्बर 9, 46/50 की कुल 1.550 हैक्टेयर भूमि पाली पुत्री पुन्नू जाति बावरी निवासी 42 जीजी के नाम दर्ज राजस्व रिकॅार्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि पाली एवं मुखत्यार कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। पाली पत्नी नानक सिंह को ग्राम में पाली एंव मुखत्यार कौर के नाम से जाना पहचाना जाता है। प्रार्थी का वास्तविक नाम पाली उर्फ मुखत्यार कौर पत्नी नानक सिंह जाति बावरी निवासी 42 जीजी है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

4. का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 42/40 की छायाप्रति, वारिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 48 जीजी श्रीनगर की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मूल निवास की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 42/40 में अंकित नाम पाली पुत्री पुन्नू के स्थान पर पाली उर्फ मुखत्यार कौर पुत्री पुन्नू दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मूल निवास की छायाप्रति में नाम मुखत्यार कौर अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि पाली एवं मुखत्यार कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। पाली पत्नी नानक सिंह को ग्राम में पाली एंव मुखत्यार कौर के नाम से जाना पहचाना जाता है। प्रार्थी का वास्तविक नाम पाली उर्फ मुखत्यार कौर पत्नी नानक सिंह जाति बावरी निवासी 42 जीजी है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 42/40 में अंकित नाम पाली पुत्री पुन्नू के स्थान पर पाली उर्फ मुखत्यार कौर पुत्री पुन्नू दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

पाली उर्फ मुखत्यार कौर बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **09/2024**
निर्णय दिनांक :- 21.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 42/40 में अंकित नाम पाली पुत्री पुन्नू के स्थान पर पाली उर्फ मुखत्यार कौर पुत्री पुन्नू दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 21.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	योग	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/210 दिनांकः 21.05.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर